(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजसमन्द

भगवान दास बनाम सुनवाई

किस्म मुकदमा दावा नं. 139/14 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29/6/18	आज यह पत्रावली रापस्व मेरे अदालत अधिनियम 1956 आपके द्वारा बोर्ड परिपत्र नं. 2म पेश हुई। पत्रावली पक्षकार अधिवक्ता एवं सुनवाई की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण वादिगण द्वारा इन तथ्यों के आधार पेश किया है कि विवादित आराजी ख. न. 1213 रकबा 0.11 हे. 0.9 बिस्वा किस्म मसवा न. 172 वादीगण की खरीदी एवं कब्जे काश्त की आराजी है शाबित है यह आराजी ख. भगवान दास पुत्र गिरधर जाति रावणा का था। गिरधर की मृत्यु, खरीदी काश्त एवं कब्जे की थी। निनाम देहान्त करीब 40 वर्ष पूर्व बावल्द हो गया। मृतक के पुत्र वादियों के बाप कानू कटेलाल हुए, कटेलाल की मृत्यु 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादीगण कटेलाल के पुत्र है। कटेलाल के पांच पुत्र रामचन्द्र, भगवान दास, रामेश्वर, रामचन्द्र एवं मुन्नालाल हुए। रामचन्द्र एवं मुन्नालाल फौत हो चुके है। भगवान दास का पुत्र नाथीलाल है, मुन्नालाल के वारिस उनकी बेवा राधा, पुत्र गण राकेश, सोनू, रामवीर है। गिरधर की मृत्यु के समय उनका पुत्र श्री का बेटा दादा नाथीलाल वादीगण के पिता कटेलाल थे मृतक के बाद भाई गिरधर के रहे मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत इस आराजी के तन्हा वारिस एवं काबिज तबर्रा हुए तथा बतौर खरीददार काश्त। विवादित आराजी पर अपने जीवन काल तक काबिज रहे। मृतक के वारिसान ने वादी गण पर इस विवादित आराजी पर वादीगण के तन्हा हैसियत व कब्जे को देखा था इसलिए वादीगण का उपरोक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा। वादीगण वगैरह खातेदार काश्तकार भाषीय काश्त पर रहे हैं। अब प्रतिवादी 1 व 2 गलत तरीके गिरवर का रास्ता को वाहिल बताने लगे हैं एवं पक्षकार अवैधानिक को धमकियाँ लगे हैं। राजस्व रिकार्ड में भूमि का मौलिक गिरवर के नाम ही चली आ रही है इसका वारिसों का नाम नहीं हुआ है अतः अब वादीगण के विरुद्ध आरोपी खातेदार काश्तकार बने फिर किया जावे। प्रतिवादीगण का परेशान किया जावे।

इनके पक्षकारों के सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी रामेश्वर रिकार्ड के अनुसार गिरवर पुत्र भागीरथ के नाम से दर्ज चली आ रही है। गिरवर की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अतः राजस्व रिकार्ड में गिरवर की विरासत खोलने का मामला है। राजस्व रिकार्ड में विरासत खोलने का कार्य तहसीलदार का है।

अतः श्रीमान द्वारा आदेश के साथ निर्णय किया जाता है कि तहसीलदार राजाखेड़ा विवादित आराजी ख.नं. 423 रकबा 0.1 बीघा 09 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन जरिबा नं. 2 पर दर्ज खातेदार गिरवर पुत्र भागीरथ ब्राह्मण साकिन जो कि 50 वर्ष पूर्व फौत हो चुके हैं उनकी विरासत का नामान्तरण जाँच करके खोले। तहसीलदार राजाखेड़ा को पत्र भेजा है। वादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह तहसीलदार राजाखेड़ा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली कैदखाना शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)